आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
31-5-13

संख्या--924 / 38-4-13-64(विविध) / 2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 31 मई 2013

विषयः- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को दो सामान किश्तों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-8 के माध्यम से पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1328 / 38-8-2007, दिनाक 27 जुलाई 2007 द्वारा इन्दिरा आवास योजना के मार्ग-निर्देश के प्रस्तर सं0-4.10 में लाभार्थियों को धनराशि के भुगतान की व्यवस्था के दृष्टिगत इन्दिरा आवास योजना के निर्माण में प्रगति लाने एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत एवं द्वितीय किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के निर्देश दिये गये थे।

2- शासन के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 2007 में भुगतान के प्रतिशत की निर्धारित की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत योजना में आवासों के निर्माण में प्रगति लाने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को धनराशि का भुगतान दो किश्तों में किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार इन्दिरा आवास के लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय किश्त के रूप में 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या--924(1) / 38-4-10तद्दिनाक--

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(3) समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(4) एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।